छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 1940 / 168 / 2008 / प. रायपुर, दिनांक 01 / 01 / 2009

सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 10 / 2008 / परीक्षा दिनांक 20 / 09 / 2008, एवं रोजगार एवं नियोजन में प्रकाशन दिनांक 22 / 09 / 2008 के अनुक्रम में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2008 दिन रविवार, दिनांक **01 / 02 / 2009** को समय **पूर्वान्ह 10 बजे से अपरांह 12:30 बजे** तक होगी। उक्त परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को निम्नानुसार महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है।

1. आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को उनके पत्र व्यवहार के पते पर प्रवेश पत्र सामान्य डाक से भेज दिया गया है।

2. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ओ. एम. आर. आवेदन पत्र में फोटो चस्पा नहीं किया गया है, उन्हे भी प्रवेश पत्र भेजा गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में फोटो नहीं है। अतएव ऐसे अभ्यर्थी को स्वयं की पासपोर्ट साइज की एक फोटो प्रवेश पत्र पर चस्पा कर किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। इसके अतिरिक्त फोटो की एक अन्य प्रति पर भी उसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराते हुए इसे परीक्षा तिथि को आबंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के समक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घण्टे पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, ताकि केन्द्राध्यक्ष इसे परीक्षा तिथि को अभ्यर्थी की उपिस्थति लिए जाने हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए शीट पर चस्पा कर सके तथा प्रवेश पत्र में चस्पा किये गये अभिप्रमाणित फोटो एवं केन्द्राध्यक्ष को उपलब्ध कराए गए फोटो का मिलान कर अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश दे सकें।

3. अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक प्रवेश पत्र **(Alternate Admit Card)** की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो आयोग की वेबसाईट **www.psc.cg.gov.in** में देखा जा सकेगा। जिन अभ्यर्थियों को डाक के द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी ओ. एम. आर. आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर वैकल्पिक प्रवेश पत्र दिनांक 20 / 01 / 2009 के पश्चात् प्राप्त कर सकेगें, परंतु वैकल्पिक प्रवेश पत्र में फोटो न होने पर ऐसे अभ्यर्थी को उपर्युक्त पैरा–2 की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. जो अभ्यर्थी आयोग कार्यालय से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वे आयोग कार्यालय में दिनांक 27 से 31 जनवरी 2009 तक कार्यालयीन समय में संपर्क कर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।

5. ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रुप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनो हाथ नहीं हैं, या जो अपने दाएं–बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, **उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र/ सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सहलेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (10+2)** से अधिक नही होनी चाहिए। **अभ्यर्थी, सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की दो पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह लेखक के रुप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः संपर्क करेंगे।**

6. अभ्यर्थी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्युलेटर, सेल्युलर फोन और पेजर लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

7. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों को जो पहले से सेवा में न हो, उन्हें वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्राध्यक्ष द्वारा यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) का होने का जाति प्रमाण पत्र तथा सेवारत न होने का घोषणा–पत्र केन्द्राध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

8. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दंड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सही/–
अवर सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर, (छ.ग.)